



प्रेस विज्ञप्ति

13.10.2025

कोलकाता आंचलिक कार्यालय, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और गुजरात में 13 स्थानों पर 10.10.2025 को श्री गणेश ज्वैलरी हाउस (आई) लिमिटेड के मामले में तलाशी अभियान चलाया।

ईडी ने केंद्रीय जाँच ब्यूरो, बैंक धोखाधड़ी और वित्तीय प्रतिभूति, कोलकाता द्वारा श्री गणेश ज्वैलरी हाउस (आई) लिमिटेड और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ 2,672 करोड़ रुपये की 25 बैंकों के संघ को धोखा देने के मामले में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जाँच शुरू की।

ईडी की जाँच से पता चला कि 2010-11 के दौरान, श्री गणेश ज्वैलरी हाउस (आई) लिमिटेड के प्रमोटरों ने विभिन्न सौर ऊर्जा परियोजनाओं में लगभग 160 करोड़ रुपये के ऋण कोष का उपयोग किया था। बाद में, वास्तविक स्वामित्व को छिपाने के लिए, इन सौर ऊर्जा परियोजनाओं को श्री गणेश ज्वैलरी हाउस (आई) लिमिटेड और उसके समूह की संस्थाओं के पूर्व निदेशकों और सहयोगियों को बेचा गया। इन समन्वित कार्यों का उद्देश्य अपराध से प्राप्त आय को छिपाना और ऋण देने वाले बैंकों द्वारा संपत्ति की वसूली को रोकना था।

तलाशी के दौरान, संबंधित कंपनियों के कई बैंक खातों का पता चला है और उन्हें फ्रीज कर दिया गया है। इसके अलावा, कई अपराध संकेती दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और विभिन्न दस्तावेज पाए गए हैं और जब्त कर लिए गए हैं। जाँच में यह भी पाया गया है कि कुछ पेशेवरों, जिनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य कानूनी पेशेवर शामिल हैं, ने अवैध धन के प्रवाह को छिपाने के लिए कंपनियों की एक भूलभुलैया स्थापित करने में सक्रिय रूप से मदद की। जाँच में यह भी पाया गया है कि कुछ पेशेवरों, जिनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य कानूनी पेशेवर शामिल हैं, ने अवैध धन के प्रवाह को छिपाने के लिए कंपनियों का जाल बिछाने में सक्रिय रूप से मदद की।

इस मामले में पहले ही, आज तक 193 करोड़ रुपये की संपत्तियाँ अस्थायी रूप से जब्त की जा चुकी हैं, और एक अभियोजन शिकायत भी दर्ज की गई थी। इसके अलावा, खोज कार्यों के दौरान लगभग 33 करोड़ रुपये की धनराशि को भी जब्त कर लिया गया था।

आगे की जाँच जारी है।